

पालिका ईओ व चेयरमेन के शिविर में देरी से पहुंचने पर लोगों ने जड़ा ताला

विपक्ष के पार्षदों के साथ भेदभाव करने के का भी आरोप जड़ा

सादुलपुर, (निर्स)। प्रशासन शहरों के संग अभियान में नगरपालिका राजगढ़ द्वारा वार्ड संख्या 1, 2 व 3 के लिए लगाये गये शिविर में बुधवार को तीन-चार कार्मिकों के अलावा पालिका अधिकारी, कर्मचारी व चेयरमेन के शिविर में देरी से पहुंचने तथा विपक्ष के पार्षदों के साथ भेदभाव करने के आरोप में वार्ड पार्षदों सहित मौहल्लेवासियों ने पूर्व पालिका अध्यक्ष जगदीश बैरासरिया के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया तथा आक्रोशित लोगों ने शिविर में उपस्थित कार्मिकों को बाहर निकाल कर शिविर स्थल अम्बेडकर भवन की तालाबन्दी कर डाली।



सादुलपुर में प्रशासन गांव के संग शिविर में अधिकारी व कर्मचारियों के 11 बजे तक नहीं पहुंचने पर खाली पडी कुर्सियां।

पार्षद जयवीर ढाका व पार्षद प्रतिनिधि ज्ञानप्रकाश सैनी सहित मौहल्ले के लोगों का आरोप है कि बुधवार को 11 बजे तक ना तो नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी शिविर में पहुंचे तथा नाही चेयरमेन, ना एसडीएम, ना ही तहसीलदार ना शिविर में पहुंचे। 11 बजे तक खाली पडी कुर्सियों को देखकर लोग भड़के लोगों ने शिविर में पहुंचे कार्मिकों को बाहर निकाल कर तालाबन्दी कर

विरोध प्रदर्शन किया।

वार्ड पार्षद जयवीर ढाका व पार्षद प्रतिनिधि ज्ञानप्रकाश सैनी सहित मौहल्ले के लोगों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि तीन दिनों से प्रशासन शहरों के संग अभियान लगाया जा रहा है मगर पालिका प्रशासन ने एक भी पट्टा जारी नहीं किया है। यहां तक कि जन्म या मृत्यु प्रमाण-पत्र तक जारी नहीं किया

गया है, सिर्फ शिविर के नाम पर कागजी कार्यवाही कर सरकारी कोष को चूना लगाया जा रहा है।

पार्षद प्रतिनिधि सैनी ने कहा कि यह वार्ड कच्ची बस्ती का वार्ड है लगभग 150 फाईलें पट्टा आवेदन की पालिका में जमा है, जिनके सभी कार्य हो चुके हैं, फिर भी पट्टे जारी नहीं हो रहे हैं, जबकि राज्य सरकार पट्टा

जारी के लिए शिविर लगा रही है।

सैनी ने कहा कि हमें यह अंदेशा है कि हमारी फाईल पालिका में है या नहीं ये भी पता नहीं है। पार्षद प्रतिनिधि जयवीर ढाका ने कहा कि दो बार शिविर लगे चुके हैं, लेकिन आज तक एक भी पट्टा नहीं बनाया गया है, सिर्फ अपने चेहरे को कार्य किया जा रहा है। तालाबन्दी की मिली सूचना पर



■ पूर्व पालिका अध्यक्ष बैरासरिया के नेतृत्व में लोगों ने शिविर स्थल से कार्मिकों को बाहर निकाला

ईओ सुमेरसिंह श्योराण तथा पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि व पूर्व एसपी नियाज मोहम्मद मौके पर पहुंचे तथा विरोध प्रदर्शन कर रहे पूर्व पालिका अध्यक्ष जगदीश बैरासरिया, वार्ड 03 पार्षद प्रतिनिधि महेन्द्र पहिहार, पार्षद प्रतिनिधि जयवीर ढाका, पार्षद प्रतिनिधि एडवोकेट ज्ञान प्रकाश सैनी, सत्यनारायण बैरासरिया, पार्षद सुमन कंवर, पार्षद बाला ढाका व राजेश आदि से वार्ता की। अधिशाषी अधिकारी सुमेरसिंह श्योराण का कहना है कि अभी दो-तीन रोज पूर्व ही ईओ का पदवार संभाला है तथा राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान में अधिकाधिक पट्टे बनाये जायेंगे।

फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी दे दुष्कर्म करने का आरोप

सादुलपुर, (निर्स)। रावतसर कुंजला निवासी एक आरोपी द्वारा विदेश गये एक व्यक्ति की नाबालिग पुत्री के अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने व जान से मारने की धमकी देकर दो वर्षों से देशशोषण करने के आरोप का मामला हमीरवास थाने में दर्ज किया गया है।

हमीरवास थानाधिकारी राधेश्याम ने बताया रावतसर कुंजला निवासी एक व्यक्ति ने दर्ज मामले में आरोप लगाया है कि 19 जुलाई को समय करीब सायं 8 बजे की बात है कि आरोपी सोहेल खान पुत्र मोहम्मद जैवार खान जाति कामखानी निवासी रावतसर कुंजला उसके छोटे भाई जो कि विदेश में रहता है के घर में घुसा, तथा उसके छोटे भाई की 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया। तथा रातपर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी बीच नाबालिग बालिका ने हिम्मत कर घटनाक्रम के बारे में अपने माता-पिता को बताया जिस पर बालिका से पुछताछ करने पर नाबालिग बालिका ने बताया कि आरोपी सोहेल खान पिछले दो सालों से उसे धमकी देकर उसे

■ आरोपी ने दो साल तक किया देशशोषण

अलग-अलग जगह पर बुलाकर उसका देह शोषण करता आ रहा है कि उसके पास आपकी अश्लील फोटो व वीडियो हैं, अगर इस बारे में किसी को कुछ बताया तो वह फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा और उसे जान से मार देगा। जिस पर डरी व सहमी बालिका ने समाज में बदनामी होने व डर के कारण अभी तक इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया।

पीडित बालिका ने इस बारे में जब आरोपी सोहेल खान के माता-पिता को बताया तो उन्होंने भी उसे धमकी दी कि अगर आपने इस बारे में किसी को कुछ बताया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे तथा आप जब 18 साल की हो जाओगी तब हम आपका निकाह सोहेल खान से करवा देंगे। आरोप है कि आरोपी सोहेल खान करीब दो सालों से उसकी नाबालिग भतीजी के साथ डरा धमका कर उसका देह शोषण कर रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है।

रीट के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जारी, अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत निर्देश

अजमेर, (कासं)। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 23 व 24 जुलाई को आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा-2022 (रीट) के परीक्षा प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जारी लिंक पर बुधवार को अपलोड कर दिये है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सचिव और रीट की समन्वयक मेघना चौधरी ने अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत निर्देश जारी किये है।

निर्देशों में बताया गया है कि रीट परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र पर प्रविष्ट होने के लिए परीक्षा प्रवेश पत्र, फोटो युक्त मूल आई.डी. मुखयतः आधार कार्ड एवं इसके अनुपलब्ध होने पर अन्य राजकीय फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा-चुनाव पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस आदि मय स्व-हस्ताक्षरित फोटोप्रति लाना अनिवार्य है। इनके अभाव में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। परीक्षा कक्ष में प्रवेश पत्र, काला/नीला पारदर्शी बॉल पेन, उपरोक्तानुसार पहचान पत्र एवं इसकी स्वप्रामाणित फोटो प्रति के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु लाना पूर्णतः वर्जित है। परीक्षा केन्द्र पर मोबाइल,

केलक्यूलेटर, ब्लूटूथ या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घडी आदि, किसी प्रकार का आयुषण, पर्स, हैण्डबैग, डायरी इत्यादि लाना निषेध है। परीक्षा केन्द्र पर इन वस्तुओं को रखने व सुरक्षा की कोई व्यवस्था एवं जिम्मेदारी नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश द्वार से लेकर परीक्षा उपरान्त बाहर निकलने तक सम्पूर्ण समय परीक्षार्थी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेगा। परीक्षार्थी को निर्देशित किया गया है कि परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारम्भ होने से 2 घंटा पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करे ताकि पुलिस द्वारा फ्रिस्किंग जांच समय से की जा सके। परीक्षार्थी को परीक्षा समय से 1 घण्टा पूर्व तक ही केन्द्र में प्रवेश दिया जायेगा। परीक्षार्थी को प्रातः पारी में प्रातः 9 बजे तथा अपरा पारी में अपरा 2 बजे के पश्चात् परीक्षा केन्द्र में प्रवेशाना नहीं दी जायेगी। परीक्षार्थी को आधी बाहं की शर्ट/टी-शर्ट, कुर्ता, कुर्ती आदि एवं पैरों में पतले सोल की चप्पल/सेण्डल पहनना ही अनुमत होगा।

चौधरी ने बताया कि उत्तरपुस्तिका

में किसी भी प्रश्न से संबंधित एक से अधिक गोले को गहरा भरने पर उत्तर गलत माना जाएगा। परीक्षार्थियों को यह भी सलाह दी गई है कि प्रश्न पत्र पुस्तिका को खोलने के तुरन्त पश्चात् इसमें पृष्ठों की सही संख्या, इनका क्रम, प्रश्नों का क्रम भली भांति जांच लें। प्रश्न पत्र पुस्तिका कटी-फटी प्राप्त होने अथवा किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर इसे वीक्षक से मय ओएमआर शीट बदल लें। यह कार्य परीक्षा प्रारम्भ होने से अधिकतम 05 मिनट तक किया जा सकेगा। बाद में किसी प्रकार का बदलाव करना संभव नहीं होगा। परीक्षार्थी को अनुचित साधनों का उपयोग करते पाये जाने पर विधि के प्रावधानों के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी। परीक्षार्थियों से आग्रह किया गया है कि बसों व ट्रेनों की छतों पर यात्रा न करें। परीक्षार्थी किसी भी शंका समाधान के लिए रीट परीक्षा कन्ट्रोल रूम के दूरभाष संख्या 0145-2630436, 2630437, 2630439, मोबाइल नं. 7737896908 व 7737804808 पर सम्पर्क कर सकते है।

बलात्कार के चार आरोपियों को 20 वर्ष का कारावास

करोली, (निर्स)। पोक्सो कोर्ट की विशिष्ट न्यायाधीश अलका बंसल ने सामूहिक बलात्कार के आरोपी पपलेश, रूपचंद, नकुल, और लीलादयाल को दोष सिद्ध करार देते हुए चारों को अलग-अलग 20 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया।

पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक महेन्द्र कुमार मुदगल ने बताया कि सभी घर वाले खाना खाकर सो गए थे। रात 11 बजे पीडिता की मां जागी तो उसने देखा कि पीडिता बिस्तर पर नहीं थी। सभी ने इधर-उधर ढूँढा तो सड़क पर उसकी चुन्नी मिली। पपलेश पीडिता को ट्यूशन पढ़ाने आता था। घर बालों ने पपलेश को फोन किया तो उसका नंबर बंद

आया। फिर उसके भाई को फोन किया तो बताया कि तुम्हारी बेटी पपलेश के पास है। जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करते हुए 18 जनवरी 2019 को पपलेश को जयपुर से गिरफ्तार किया। पीडिता ने बताया कि पपलेश मुझे अलग-अलग जगह ले गया और उसके साथी नकुल, रूपचंद और लीलादयाल ने मेरे साथ मेरी मर्जी के विरुद्ध बलात्कार किया। लोक अभियोजक ने बताया की पीडिता की उम्र 16 वर्ष है। जिसका टोडापीम थाना पुलिस ने 3 अप्रैल 2019 को कोर्ट में चालान पेश किया इसके कुल 18गवाह और 44 दस्तावेज प्रदर्श किये गये चारो आरोपियों पर 4 लाख 34 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

कट्टे में अवैध हथियार लेकर जा रहे युवक को पुलिस ने दबोचा

खेतड़ी। स्थानीय पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक देशी पिस्टल, दूनाली बंदूक सहित नौ जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं।

सीआई विनोद सांखला ने बताया कि एसपी मृदुल कच्छवा के निर्देश पर

■ आरोपी के कब्जे से एक देशी पिस्टल, दूनाली बंदूक सहित नौ जिंदा कारतूस बरामद किए



खेतड़ी पुलिस ने हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया।

खेतड़ी क्षेत्र में अवैध हथियारों व खरीदारों की पहचान को लेकर विशेष अभियान चलाया हुआ है। जिसके तहत एक टीम का गठन किया गया है। अवैध हथियार रखने वालों की तलाश में गठित की गई टीम पहाड़ी क्षेत्र की तरफ गश्त के लिए गई हुई थी। इस दौरान कॉन्स्टेबल दिनेश कुमार को मुखबिर् के जरिए सूचना मिली की खेतड़ी कस्बे से बीलवा की तरफ एक व्यक्ति पीले रंग की टी शर्ट पहनकर आ रहा है व प्लास्टिक के

कट्टे में अब अवैध हथियार लेकर जा रहा है। सूचना पर खेतड़ी पुलिस व जिला स्पेशल की टीम ने बीलवा पहाड़ी की तरफ नाकाबंदी की गई। इस दौरान खेतड़ी की ओर से आ रहे एक व्यक्ति को रकबाया। जिसके हाथ में प्लास्टिक कट्टा था। जिसको रोकर पूछने की कोशिश की गई तो वह पहाड़ियों की तरफ भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ कर उसका नाम पूछा तो उसने संजय उर्फ बच्चियां पुत्र

गजेंद्र सिंह गुर्जर बंधा की ढाणी तन पपुरना कर रहने वाला बताया। जिसके पास से बरामद हुए प्लास्टिक के कट्टे की जांच की गई तो उसमें एक देशी पिस्टल, एक दूनाली बंदूक व 9 जिंदा कारतूस पाए गए। जब पुलिस ने उसके पास मिले हथियारों के बारे में पूछताछ की तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस द्वारा अवैध हथियार की तस्कर के मामले में संजय उर्फ बच्चियां को हिरासत में ले लिया।

खातेदारी की भूमि से दस साल बाद दबंगों का कब्जा हटाया


हिंगडौन सिटी (का.सं.)। उपखंड अधिकारी अनूप सिंह के निर्देशन में समीप के गांव खेडली गुर्जर में एक खातेदारी की जमीन से लगभग 10 वर्ष बाद दबंगों का कब्जा हटाकर अतिक्रमण मुक्त किया और पीडित को कब्जा दिलाया।

उपखंड अधिकारी अनूप सिंह ने बताया कि पतिवादी चौथी लाल पुत्र गिरधारी निवासी खेडली गुर्जर की खसरा नंबर 1016 रकबा 0.60 हेक्टर भूमि पर कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा था। परिवारी की ओर से इस मामले में जिला कलेक्टर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत

की गई। जिसके बाद उपखंड अधिकारी अनूप सिंह तथा तहसीलदार सूरिठ को प्रकरण का विस्तारण करने के निर्देश दिए गए थे। तहसालदार गजानंद मोणा की ओर से प्रकरण को धारा 183 बी के तहत दर्ज कर पालना के लिए राजस्व टीम व पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे सोमा ज्ञान की कार्यवाही की गई। इस दौरान भू-अभिलेख निरीक्षक सुरेश कोली व पटवारी पंकज जाटव आदि राजस्व विभाग की टीम ने भूमि का सीमा ज्ञान करवाया और अधिकारियों की मौजूदगी में पीडित को कब्जा दिलाया।

ग्राम विकास अधिकारी को हटाने की मांग को लेकर टंकी पर चढ़े युवक

अपनी मनमर्जी व राजनैतिक द्वेषता से कार्य करने का आरोप



पंचायत ढढेरू भामुवान में युवकों ने टंकी पर चढ़ विरोध जताया।

बीदासर, (निर्स)। पंचायत समिति बीदासर की निकटवर्ती ग्राम पंचायत ढढेरू भामुवान के ग्राम विकास अधिकारी गिरधारी लाल सोनी को हटाने की मांग को लेकर पंचायत मुख्यालय पर 12 दिनों से चल रहे धरने के बाद प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई न होने के कारण धरने पर बैठे गोविंद दास स्वामी, विक्रांत राठौड़ अपनी मांग को मनवाने के लिये बुधवार को दोपहर तीन बजे ग्राम पंचायत के गांव ढाणी कुम्हारान में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए। टंकी पर चढ़े दोनों युवकों से प्रशासन की तरफ से कोई वार्ता नहीं हुई न ही किसी प्रकार का आश्वसन दिया गया है। गौरतलब है कि बुधवार को पंचायत समिति में जनसुनवाई करने आई जिला प्रमुख वंदना आर्य व जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरौराम चौहान के समक्ष भी ग्रामीणों व

■ पंचायत ढढेरू भामुवान में 21 वर्षों से लगातार कार्यरत है ग्राम सेवक सोनी

को देखने के लिये ग्रामीणों की भीड़ उमड़ गई।

समाचार लिखे जाने तक टंकी पर चढ़े दोनों युवकों व ग्रामिणों से प्रशासन की तरफ से कोई वार्ता नहीं हुई न ही किसी प्रकार का आश्वसन दिया गया है। गौरतलब है कि बुधवार को पंचायत समिति में जनसुनवाई करने आई जिला प्रमुख वंदना आर्य व जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरौराम चौहान के समक्ष भी ग्रामीणों व

धरना दे रहे युवकों ने ग्राम सेवक को हटाने को लेकर पंचायत समिति के बाहर प्रदर्शन किया तथा नारेबाजी कर जमकर आक्रोश प्रकट किया। इस मौके पर जिला प्रमुख आर्य को ग्राम पंचायत के लोको द्वारा ग्राम सेवक को अश्विलम्ब हटाने का ज्ञापन दिया गया। ग्रामीणों के द्वारा दिये गये ज्ञापन में लिखा है कि ग्राम पंचायत ढढेरू भामुवान में कार्यरत ग्राम सेवक गिरधारी लाल सोनी लगातार 21 वर्षों से इसी पंचायत में है जो कि अपनी मनमर्जी व राजनैतिक द्वेषता से कार्य करता है। सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ, पीएम आवास, शौचालय व व्यक्तिगत लाभ बिना कोई कार्य नहीं करता। तथा ग्रामवासियों के साथ अपद्र व्यवहार करता है। नरेगा योजना में फर्जी मस्ट्रील भरकर राजकीय कोष का दुरूपयोग कर रहा है। समय पर न ही पंचायत आता है न ही बैठक लेता है।

मांडलगढ़ पुलिस ने तस्करों की कार का पीछा कर डोडा चूरा जब्त किया

मांडलगढ़, (निर्स)। मांडलगढ़ में पुलिस ने एक लाजरी कार से 152 किलो 600 ग्राम अवैध अफ़ीम डोडाचूरा बरामद कर कार को जब्त किया है। गुजरात नम्बर की कार की पीछे की सीट हटाकर नो बैग में डोडाचूरा भरकर तस्करों की जा रही थी। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है।

मांडलगढ़ थानाधिकारी सुरजीत सिंह ने बताया कि पुलिस उपअधीक्षक आदर्श सिद्ध, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठ मैत्री के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थ रोकथाम अभियान के तहत तथा मांडलगढ़ पुलिस उप अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह के नेतृत्व में मांडलगढ़ डाकबंगले के पास पुलिस टीम ने नाकाबंदी कर रखी थी। इस दौरान नेशनल हाइवे सड़क मार्ग के लाडपुरा की ओर से आई लाजरी कार चालक ने पुलिस को देख कस्बे के रास्ते पर भाग ले गया। पुलिस ने दो किलोमीटर तक पीछा कर कार को कस्बे के बोलपुरिया में कार को लावारिश हालत में दबोचा। इस बीच अंधेरे का फायदा उठाकर कार में सवार तस्कर कार छोड़कर जंगल में फरार हो गए। कार का पीछा करने के दौरान तस्करों ने टायर पंचर करने वाले क्रील लगे पट्टे को पीछा कर रही पुलिस

■ पुलिस की जीप को पंचर करने के लिए तस्करों ने कील लगा पट्टा फेंका

■ डोडा चूरा से भरी कार को छोड़ तस्कर मौके से फरार

की जीप की ओर फेंका लेकिन पुलिस जीप चालक की सूझबूझ से जीप को पंचर होने से बचाकर लगातार तस्करों का पीछा किया।

पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें 9 काले बैग में भरा 152 किलो 600 ग्राम अवैध अफ़ीम डोडाचूरा भरा मिला। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। तस्करों का पीछा करने वाली टीम में शामिल मांडलगढ़ एसएफओ सुरजीत सिंह, एसआई रामलाल, कॉन्स्टेबल बुद्धराज, देवीलाल, शंकर लाल व गोपाल लाल शामिल थे। सुरजीत सिंह, थानाधिकारी, मांडलगढ़ ने बताया कि सम्भवतः डोडाचूरा चित्तौड़गढ़ जिले से लाने की जानकारी मिली है।

सुखदेव सिंह गोगामेडी को पुलिस सुरक्षा देने की मांग

सादुलपुर, (निर्स)। सुखदेव सिंह गोगामेडी को पाकिस्तान से मिली जान से मारने की धमकी के आरोप में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुलिस सुरक्षा दिलवाने की मांग उठाते हुए जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया है।

वहीं सौंपे ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी सुप्रीमो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना को विगत 16 जून को सांयकाल में एक

अज्ञात पाकिस्तानी नंबर से धमकी भरा कॉल प्राप्त हुआ है, जिसमें फोन करने वाले ने गोगामेडी को जान से मारने की धमकी दी है।

साथ ही बताया कि गोगामेडी करणी सेना के प्रमुख होने के साथ-साथ हिन्दुत्व तथा अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वाली सखिसयत है, जो निरंतर समाज के मुद्दों को उठाते रहते हैं, ऐसे में युवाओं व समाज के लोगों को उनकी जान माल की सुरक्षा की चिंता


रहती है। वहीं उन्हें सुरक्षा देनेकी माँग को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना तहसील अध्यक्ष नवीन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। इसी दौरान दलवीर जाटवास ग्रामीण अध्यक्ष, सत्येंद्र सिंह राठौड़, संदीप सिंह राठौड़, पंकज राठौड़, टिंकू राठौड़, इन्द्रसिंह राठौड़, मोनु राठौड़, रघुवीर राठौड़, अनिल राठौड़ व अमित राठौड़ आदि लोग मौजूद रहे।

कनकांचल और आदि पर्वत को वन क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर चल रहा धरना समाप्त

प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया

भरतपुर (निर्स)। प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद बुधवार को समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ ही कनकांचल और आदि पर्वत को वन क्षेत्र घोषित करवाने की मांग पर चल रहा धरना समाप्त हो गया है। पसोपा में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह की उपस्थिति में प्रदर्शनकारियों ने यह घोषणा की तथा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हाार्दिक आभार व्यक्त किया। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंच आत्मदाह करने वाले बाबा की कुशलक्षेम पूछी व चिकित्सकों को उपचार में कोई कसर नहीं रहने की बात कही।

जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने पसोपा में साधु संतों ग्रामीणों की उपस्थिति में समझौता पत्र पढ़ कर सुनाया। पर्यटन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मुद्दे पर पहले दिन से ही संवेदनशील है तथा इस



समझौता पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद कलेक्टर की मौजूदगी में साधुओं ने धरना समाप्त किया।

मुद्दे पर बेवजह की राजनीति कर गुमराह करना गलत है। किसी को गुमराह कर मोबाइल टायर पर चढ़ ने या स्वयं को आग लगाने के लिये उकसाना गम्भीर

बात है। हर व्यक्ति की जान कीमती है। ऐसे कृत्यों को बढावा न दें। समझौते के अनुसार कनकांचल और आदि पर्वत को 15 दिन के भीतर वन क्षेत्र घोषित

करने की कार्रवाई की जायेगी। इससे पूर्व सम्भागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा, आईजी, भरतपुर रंज गौरव श्रीवास्तव, जिला कलेक्टर आलोक रंजन और

■ चिकित्सा मंत्री ने आत्मदाह करने वाले बाबा की कुशलक्षेम पूछी

एसपी श्याम सिंह ने प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमण्डल से कई दौर की वार्ता की, समझाशा की। इसके बाद इन चारों अधिकारियों ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किये। प्रदर्शनकारियों की ओर से गोपेश बाबा, रमाप्रिय, रमाकान्त शर्मा, सुनील सिंह, हरीबोल बाबा, महन्त शिवराम दास, भूरा बाबा, मुकेश शर्मा, मोहना, सुल्तान गुर्जर ने हस्ताक्षर किये।

साधु विजयदास एसएमएस में भर्ती। पसोपा में आत्मदाह का प्रयास करने वाले साधु विजयदास को बुधवार शाम 4 बजकर 40 मिनट पर एसएमएस, जयपुर के लिये रफ्तार किया गया।